

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

प्रहलाद बनाम मुकेश कुमार वगैरे
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा नं. 70/2021

तारीख हुयम	हुयम या कार्यवाही मय लघुहरताक्षर जाज
	<p>आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 811 रकबा 0.4200 हैक्टर अवस्थित तनू ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर से सम्बन्धित प्रस्तुत दावा मुकदमा नम्बर 111/2021 उनवानी प्रहलाद बनाम मुकेश वगैरे व मुकदमा नम्बर 70/2021 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी प्रहलाद बनाम मुकेश वगैरे के अलावा एक अन्य दावा मु.नं. 19/2017 बी0टी0 नम्बर 550/2017 उनवानी प्रहलाद बनाम मुकेश कुमार वगैरे पूर्ववर्ती दावा होकर इसी न्यायालय में विचाराधीन होने से पश्चात्पूर्ती दावा मुकदमा नम्बर 111/2021 उनवानी प्रहलाद बनाम मुकेश वगैरे व मुकदमा नम्बर 70/2021 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी प्रहलाद बनाम मुकेश वगैरे को पूर्ववती दावा मुकदमा नम्बर 19/2017 बी0टी0 नम्बर 550/2017 उनवानी प्रहलाद बनाम मुकेश कुमार वगैरे के साथ कन्सोलिडेटेड किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर प्रकरण को कन्सोलिडेटेड किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रकरण को एक साथ सुनवाई हेतु संयोजित किया जाता है। मूल दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मूल पूर्ववर्ती दावा के हमफिता संलग्न रहें।</p>

10.08.23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर

मूल दावा मुकदमा नम्बर 111/2021 फैसल हो गया है।
इसलिये पत्रावली बमुकदमा नम्बर 70/2021 को आगे चलाये जाने
का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा फैसल
शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों।

विदेसि सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर

